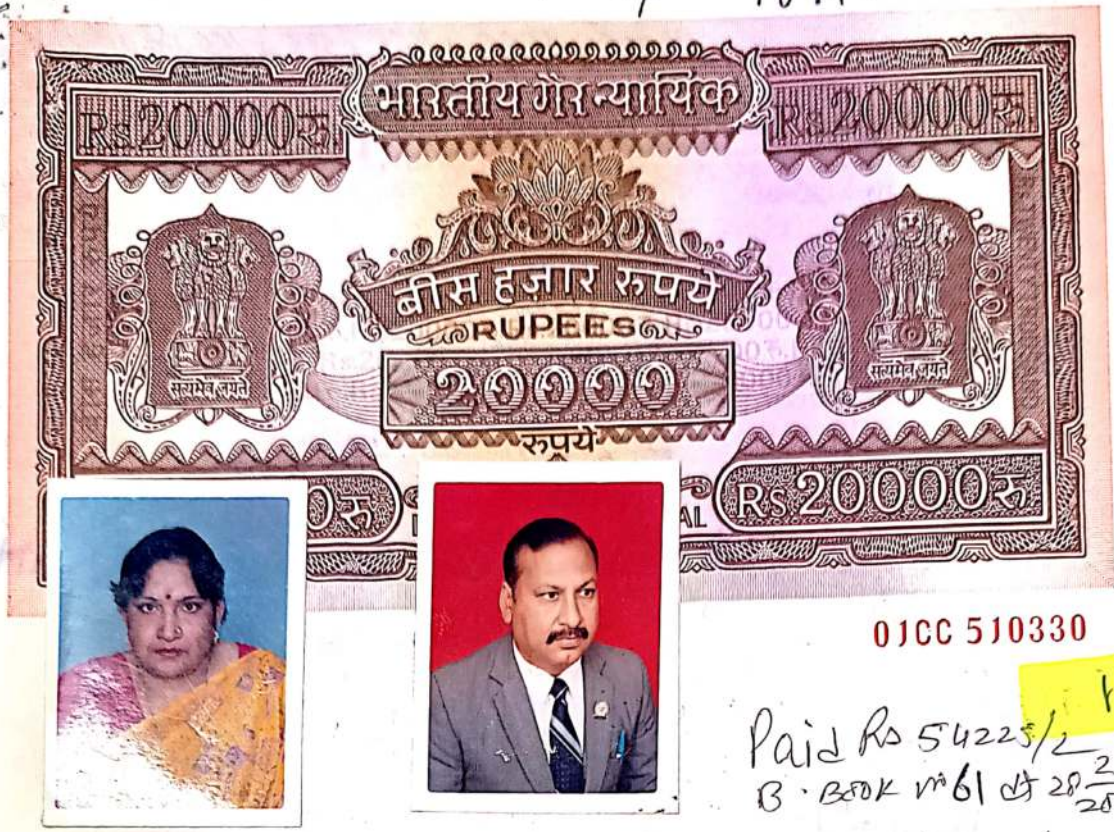




बयनामा मुबलगा 2,50,000/-रुपये स्टाम्प मुबलगा 38,735/-रुपये  
20,000 जमा 15,000 जमा 1000 x 3 जमा 500 जमा 100 x 2 जमा 50  
जमा 20 जमा 5 कुल कित्ता 11 स्टाम्प क्रमांक 4111 दिनांक 3-2-2000  
जारी कर्ता कार्यालय खाना फरीदाबाद

Raj

Shimla Rahi

मनके, श्रीमति शिमला रानी धर्मपत्नी श्री शाम लाल निवासी मकान नं. 1883 सैक्टर 16  
फरीदाबाद मिनजानिब मुख्तियार खास श्रीमति जामवन्ती देवी धर्मपत्नी श्री गिरधारी लाल  
निवासी द्वारा । ई.-20, बी.पी., एन.आई.टी. फरीदाबाद बरूवे रजिस्टरी शुदा  
मुख्तियार नामा खास वसीका नं. 1401 दिनांक 6-5-1997 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार  
साहब फरीदाबाद जो कि मुख्तियार खास नियुक्त किया बजरिये मुख्तियार आम श्री एस.एस.  
गुलाटी पुत्र श्री चोखा राम निवासी 465 सैक्टर 15 ऐ. फरीदाबाद बरूवे रजिस्टरी शुदा  
मुख्तियार नामा आम वसीका नं. 2128 दिनांक 23-11-1994 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार  
साहब फरीदाबाद ।

जो कि वाका सैक्टर नं. 10 डी.एल.एफ. माडल टाउन फरीदाबाद तह. व जिला फरीदाबाद  
मे एक अदद प्लॉट नं. 84 ऐ., ब्लॉक नं. एव., सैक्टर 10 फरीदाबाद बारकबा 500 वर्गज  
की मुकियर बरूवे रजिस्टरी शुदा बयनामा वसीका नं. 1986 दिनांक 16-6-1993 को कार्यालय  
सब रजिस्ट्रार साहब फरीदाबाद की रूह से मासिक व काबिज है । यहकि उक्त प्लॉट नं.  
एव.-84 ऐ., ब्लॉक नं. एव., सैक्टर 10 फरीदाबाद बारकबा 500 वर्गज हर प्रकार की

----- 2पर जारी

Shimla Rahi



01BB 780060

----- 2 -----

Shimla Rani

जेरबारी, देनदारी, नुक्स मिलकियत व बन्धित आदि से पाक व साफ है और मुह्तयार कर्ता गण जीवित है और मुह्तयार खास बहाल हैं और मोके पर मेरा अपना कब्जा है और मुझे उक्त प्लाट को ब्य करने का पूरा हक हासिल है यहकि अब मुझे बराये दीगर कार्यों के धन की सख्त आवश्यकता है और रुपयो का कोई मुनासिब इन्तजाम ना हो पा रहा है इसलिये अपने व अपने परिवार के हालात व मफाद को मद्दे नजर रखते हुये अपने उक्त प्लाट नं. 84 ऐं., ब्लॉक नं. एच. , सैक्टर 10 फरीदाबाद बारकबा 500 वर्गज को अपने कुल अधिकारो सहित ब्लिएचज मुबलिंग 2,50,000/-रुपये ₹ दो लाख पचास हजार रुपये ₹ मे पास श्री जनक राज पुत्र श्री बुध राम निवासी मकान नं. 1405 सैक्टर 16 फरीदाबाद को कतई बेच दिया है । फरोख्त कुली कर दिया है ।यहकि तमाम जरे ब्य नकद क्सूल पा ली है और कोई लेन-देन बकाया ना रहा है ।यहकि कब्जा मोके पर हवाले खरीदार के करा दिया है और आज के बाद मेरा व मेरे वारसान का उक्त विक्रित रकबा प्लाट नं. एच.-84 ऐं. सैक्टर 10 फरीदाबाद बारकबा 500 वर्गज की बाबत कोई वास्ता ताल्लुक ना रहा है ।यहकि आज के बाद खरीदार उक्त विक्रित प्लाट का पूर्ण रूप से मालिक व काबिज हो गया है । खरीदार को हक होगा कि वह उक्त विक्रित रकबा को जैसे चाहे इस्तेमाल मे लावे, किसी अन्य को मुन्तकिल करे ।यहकि खर्चा ब्यनामा आदि का तमाम खरीदार ने लगाया है ।यहकि उक्त विक्रित प्लाट को सम्बन्धित विभागो मे खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करा दूंगी वरना इस ब्यनामा की रूह से खरीदार खुद करा लेवे ।यहकि यदि उक्त विक्रित प्लाट की बाबत कोई जेरबारी, देनदारी, नुक्स मिलकियत या बन्धित आदि पाई गई तो मै तमाम हर्जा व खर्चा

----- उपर जारी

Shimla Rani



----- 3 -----

की देनदार व जिम्मेदार रहूंगी वरना खरीदार बजरिये अदालत मेरी दीगर जायदाद से वसूल पा लेवे । अतः यह ब्यनामा सुन-समझ कर बादुरस्ती होश हवास के तहरीर करा दिया है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे । तहरीर दिनांक 3-2-2000

अलबदः बाया Shimla Rani

श्रीमति शिमला रानी मु. खास

ह. गवाह 2.

Shaw  
Shaymalaf Shobh. Babulam  
A/o 149/Sec 25 female bop

ह. गवाह 1.  
P.P.S. POWER  
Distt. Courts, Ferozabad

DRAFTED BY  
Baboo  
isw...  
Distt. Courts, Ferozabad